न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 13/2016/अजमेर (2016/00245)

श्री हरिश कुमार बक्षी पुत्र स्व0 श्री सुदर्शन लाल शास्त्री निवासी–116 सी, पलटन बाजार, अजमेर

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/ आदेश /2016/80 दिंनाक 05–04–2016

———

उपस्थितः 1–श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 9–3–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या आउट–113/96 पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर जारी किया गया था। उक्त अनुज्ञा पत्र में एक एसबीबीएल रायफल संख्या–2258 दर्ज है जिसका लगातार 1987 से नवीनीकरण होता आ रहा था। इस शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष दिनांक 21–1–2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं ना ही अपीलांट को इस आवेदन पत्र के निस्तारण होने की सूचना दी गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 21–09–2015 को पुनः एक आवेदन पत्र उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 31–12–2008 के पश्चात तीन वर्ष तक करने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर से रिपोर्ट मांगी गई। पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर ने अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगे नवीनीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं जताई।

जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त कारण नहीं मानकर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–4–2016 द्वारा अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या प्रतिसंहृत 113/96 प्रतिसंहृत (Revoke) करने के आदेश जारी कर दिये। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(1) में यह प्रावधान है कि लाईसेन्स को रिवोक/निलम्बन/निरस्त करने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17 (1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश स्पीकिंग आदेश नही है उक्त आदेश में लाईसेंस रिन्यू नहीं करने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये उक्त आदेश में केवल यह अंकित किया गया कि विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने का कारण संतोषजनक नहीं है, किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3)(बी) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेन्स उन्हीं परिस्थितियों में निलम्बित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। इन प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए ही लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलांट ने पूर्व में जारी लाईसेन्स नवीनीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया तो उस पर पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर से रिपोर्ट मांगी गई पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 7205 दिनांक 19–09–2015 के द्वारा जिला मजिट्रेट, अजमेर को रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें उल्लेखित किया कि लाईसेंसधारी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है उसका व्यवहार अच्छा है, शस्त्र का किसी प्रकार का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। लाईसेंसधारी द्वारा हथियार से समाज एवं गांव में भय/आतंक उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। उक्त रिपोर्ट के विपरीत जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलांट का उक्त लाईसेन्स 31–12–2008 तक नवीनीकृत था। अपीलांट ने प्रथम बार दिनांक 21–1–2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने कोई कार्यवाही नहीं की। अपीलांट एक वृद्ध व्यक्ति है तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा से 13 वर्ष पूर्व रिटायर हो चुका था। अपीलांट का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अपने बेटों के पास निवास करता था। वृद्धावस्था में याददाश्त कमजोर होने के कारण अनुज्ञा पत्र किसी स्थान पर रखकर भूल गया जो सितम्बर 2015 में मिलने के कारण अपीलांट ने पुनः दिनांक 21–09–2015 को अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विलम्ब के कारणों को दर्शाते हुए अपीलांट ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा अलग–अलग वर्षो के लिए जिसका नवीनीकरण किया जाना था अलग–अलग फीस एवं विलम्ब की शास्ति जरिये चालान जमा करा दिये थे। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने विलम्ब के कारणों को उचित नहीं मानकर अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र रिवोक किया है जो उचित नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–12–2006 में शस्त्र एवं अनुज्ञा पत्रों के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये है। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के प्रावधान दिये गये है। इस बिन्दु सांख्या 5. 1 में नवीनीकरण अभ्यावेदन विलम्ब से भी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था दी गई है। इसके लिए परिशिष्ठ–11 में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है। अपीलांट ने यह शपथ–पत्र जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था जिसमें विलम्ब के कारण अंकित किये थे। आयुद्ध नियम 1962 के नियम 54 में लाईसेंस के नवीनीकरण की व्यवस्था दी गई है जिसके प्रावधानों के अनुसार अपीलांट ने प्रत्येक वर्ष की बकाया राशि जमा करा दी है जिनकी रसीदे पत्रावली पर उपलब्ध है इसके उपरान्त भी अपीलांट के उक्त लाईसेन्स को रिवोक किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट का पुश्तैनी मकान सुनसान इलाके में है जहां जंगली जानवरों की बहुतायता है। इस मकान की देखभाल करने के लिए कई दिनों तक अकेले इस मकान पर निवास करना पड़ता है। साथ में खुली जमीन होने के कारण पेड़–पोधें उगाये गये है। इस कारण हथियार की आवश्यकता है। कृषि का व्यवसाय होने के कारण अपीलांट को कई दिनों तक शहर के बाहर सुनसान स्थानों पर रहना होता है जहां केवल स्वयं के हथियार से सुरक्षा की जा सकती है। राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 13–7–2007 के बिन्दु संख्या 6(क) व (ख) के अनुसार फसल सुरक्षा व स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार का लाईसेन्स जारी किया जा सकता है। अपीलांट के पास वर्ष 1987 से ही हथियार का लाईसेन्स है जो निरन्तर रिन्यू होता आ रहा है। अपीलांट ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है अपीलांट के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं है ना ही अपीलांट को किसी न्यायालय ने सजा दी है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपनी कार्यालय टिप्पणी के पैरा संख्या 20 में केवल

विलम्ब को आधार मानकर इस विषय पर अपीलांट को नोटिस जारी करने के निर्देश नोटशीट पर दिये थे परन्तु कार्यालय स्तर पर संबंधित क्लर्क ने अनुज्ञापत्र को रिवोक करने का आदेश बनाकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत कर दिया जिस पर रूटीन में हस्ताक्षर हो गया। अपीलांट को केवल विलम्ब को स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया जाना था। इसलिए भी जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का उक्त आदेश निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के बिन्दु संख्या 7 के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट का लाईसेन्स रिबोक किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने गृह विभाग ग्रुप–9 के परिपत्र संख्या प–1 (13) ग्रह–9 2006 दिनांक 16–2–2010 के बिन्दु संख्या 7 का गलत अर्थ निकाल कर निर्णय पारित किया है। बिन्दु संख्या 7 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के बिन्दु संख्या 8–1 में प्रावधान किया गया था कि यदि किसी अनुज्ञाधारी के विरूद्ध आपराधिक मामलें में सजा होने, आपराधिक मामला विचाराधीन होने या शांति भंग होने की कार्यवाही की जानकारी मिलती है तो नवीनीकरण की अवधि का इन्तजार नहीं करके अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जावे। इस प्रावधान के स्थान पर अब अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रावधान में आयुद्ध अधिनियम के तहत निहित प्रावधान व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2016/80 दिनांक 05–04–2016 निरस्त यिके जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्ट कि विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष अपीलांट हरिश कुमार बक्षी पुत्र श्री सुदर्शल लाल बक्षी निवासी 116–सी पलटन बाजार अजमेर द्वारा उन्हें जारी शस्त्र असंख्या आऊट 113/96 पुलिस थाना सिविल लाईन्स को आगामी नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त अनुज्ञा पत्र में एक एसबीबीएल रायफल संख्या–2258 दर्ज है अनुज्ञा पत्र के अवलोकन से पाया गया कि उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण 31–12–2008 के पश्चात नहीं कराया गया है। अपीलांट से विलम्ब होने का कारण ज्ञात करने हेतु दिनांक 14–1–2016 को पत्र जारी किया गया जिसके प्रतिउत्तर में प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि उसका अनुज्ञा पत्र घर में कहीं गुम हो गया था जो काफी तलाश करने के पश्चात मिला प्रार्थी का प्रतिउत्तर में उल्लेखित कारण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण उक्त अनुज्ञा पत्र को वर्ष 2008 से नवीनीकृत नहीं कराया जाना आयुद्ध अधिनियमों की घोर अवहेलना की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के बिन्दु संख्या 7 के परिप्रेक्ष्य एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक का शस्त अनुज्ञापत्र

संख्या आऊट 113/96 पुलिस थाना सिविल लाईन को तत्काल प्रभाव से प्रतिसंहृत (Revoke) किया गया है जो उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या आउट–113/96 पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर जारी किया गया था। उक्त अनुज्ञा पत्र में एक एसबीबीएल रायफल संख्या–2258 दर्ज है जिसका लगातार 1987 से नवीनीकरण होता आ रहा था। अपीलांट द्वारा दिनांक 21–09–2015 को पुनः एक आवेदन पत्र उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 31–12–2008 के पश्चात तीन वर्ष तक करने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर से रिपोर्ट मांगी गई। पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर ने अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगे नवीनीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त कारण नहीं मानकर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–4–2016 द्वारा अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या आऊट 113/96 प्रतिसंहृत (Revoke) करने के आदेश जारी कर दिये। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(1) में यह प्रावधान है कि लाईसेन्स को रिवोक/निलम्बन/निरस्त करने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। बहस के दौरान यह भी कथन किया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 13–7–2007 के बिन्दु संख्या 6(क) व (ख) के अनुसार फसल सुरक्षा व स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार का लाईसेन्स जारी किया जा सकता है। अपीलांट के पास वर्ष 1987 से ही हथियार का लाईसेन्स है जो निरन्तर रिन्यू होता आ रहा है। अपीलांट ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है अपीलांट के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं है ना ही अपीलांट को किसी न्यायालय ने सजा दी है जिसका उल्लेख पत्रावली में कहीं पर भी दर्शित नहीं है। राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–12–2006 में शस्त्र एवं अनुज्ञा पत्रों के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये है। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के प्रावधान दिये गये है। इस बिन्दु सांख्या 5.1 में नवीनीकरण अभ्यावेदन विलम्ब से भी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था दी गई है। इसके लिए परिशिष्ठ–11 में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है। अपीलांट ने यह शपथ–पत्र जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था जिसमें विलम्ब के कारण अंकित किये थे। आयुद्ध नियम 1962 के नियम 54 में लाईसेंस के नवीनीकरण की व्यवस्था दी गई है जिसके प्रावधानों के अनुसार अपीलांट ने प्रत्येक वर्ष की बकाया राशि जमा करा दी है जिनकी रसीदे पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके उपरान्त भी अपीलांट के उक्त लाईसेन्स को रिवोक किया

गया है जो विधिसम्मत नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलांट का लाईसेन्स को प्रतिसंहृत (Revoke) करने बाबत आदेश में कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नहीं किये गये है। अपीलांट के पास हथियार होने से वह सेवानिवृति पश्चात सुरक्षा गार्ड की नौकरी एवं खेतीबाड़ी के दौरान जंगली जानवरों से सुरक्षा कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों पर गौर किये बिना शस्त्र अनुज्ञापत्र को प्रतिसंहृत (Revoke) किया है जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध सभी तथ्यों की एवं राज्य सरकार के परिपत्र/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/न्याय/शस्त्र/2016/80/दिनांक 05–04–2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य का अवलोकन कर एवं अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 9–3–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर